सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-01 /2018/62/29-5-2018-5(1)/18

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

2. महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ।

4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5. समस्त सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
उत्तर प्रदेश।

6. निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।

7. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0,
22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

8. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,
17, गोखले मार्ग, लखनऊ।

9. अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

10. प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0,
(पी0सी0यू0), लखनऊ

11. शाखा प्रबन्धक,
एन0सी0सी0एफ0, लखनऊ।

12. शाखा प्रबन्धक,
नैफेड, अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनॉक 31 जनवरी,, 2018

विषय:-रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय व्यवस्था संबंधी समय सारिणी।

महोदय,

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से गेहूँ की खरीद दिनॉक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ की जायेगी। प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से गेहूँ की खरीद हेतु संलग्न समय-सारिणी इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया नियत तिथियों के अनुसार प्रत्येक जनपद में गेहूँ खरीद हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाये और गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर गेहूँ क्रय केन्द्रों का चयन/अनुमोदन 01 मार्च, 2018 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- गेहूँ क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधायें आदि गेहूँ क्रय हेतु समस्त पूर्व व्यवस्थायें दिनॉक 10 मार्च, 2018 तक अवश्य पूर्ण करा ली जायें।

3- आगामी सत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचौलियों के माध्यम से गेहूँ की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

जायें तथा बिचौलियों से साँठ-गाँठ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पूर्व ही चिन्हित कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों के हित के लिए गेहूँ खरीद योजना का लाभ इस पर निर्भर है कि कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाये, कृषकों को त्वरित मूल्य भुगतान हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि स्थानीय स्तर पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाये तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मूल्य भुगतान की नियमित समीक्षा की जाये।

5- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कर लिये जायें।

6- जिलाधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में निम्न निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रयास किया जाये कि गेहूँ की आवक वाली प्रत्येक पाकेट में 08 कि0मी0 की दूरी पर/04 किमी0 के रेडियस पर क्रय केन्द्र अवश्य स्थापित हों।

(2) गतवर्ष गेहूँ क्रय में 5105 गेहूँ क्रय केन्द्र खोले गए थे। इस वर्ष 5500 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रयास किया जाये कि जिन न्याय पंचायतों में गेहूँ की न्यूनतम 100 मी0टन की खरीद सम्भावित है, वहाँ गेहूँ क्रय केन्द्र अवश्य स्थापित कराया जाये।

(3) न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु सहकारी समितियों को वरीयता दी जाय। इस निमित्त जिन न्याय पंचायतों में स्थापित सहकारी समितियां क्रियाशील नहीं हैं, उन्हें गेहूँ क्रय सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभियान चलाकर क्रियाशील कराया जाय।

(4) मण्डी यार्ड एवं सब मण्डी यार्ड में गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित करने पर वरीयता दी जाय। प्रयास किया जाय कि गत वर्षों में माह अप्रैल से लेकर जून तक मण्डी यार्ड में कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत प्रति 5000 मी0टन आवक पर एक गेहूँ क्रय केन्द्र अवश्य स्थापित किया जाय।

(5) कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत स्थायी गेहूँ क्रय केन्द्र/स्थल बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस निमित्त प्रयास किया जाय कि खाद्य विभाग,पी0सी0एफ0 व भारतीय खाद्य निगम के केन्द्र एक निश्चित स्थान पर ही प्रत्येक वर्ष स्थापित किये जायें।

7- ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता दिनॉक 10 मार्च, 2018 तक तथा ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग दिनॉक 12 मार्च, 2018 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपुर्यक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्न समय-सारिणी।</u>

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-01/2018/62(1)/29-5-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (अनुश्रवण हेतु)।

6- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।

8- तकनीकी सहायक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

9- खाद्य तथा रसद अनुभाग-4/5

आज्ञा से,

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 01/2018/62/29-5-2018, दिनॉक 31 जनवरी, 2018 का संलग्नक-1

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय वर्ष 2018-19 में खरीद की व्यवस्था सम्बन्धी समय-सारिणी।

क्र0	अपेक्षित कार्य	समय सारिणी	अधिकारी/विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	5
1-	प्रभारी अधिकारी, गेहूँ खरीद की नियुक्ति	31 जनवरी, 2018 तक	जिलाधिकारी
2-	गेहूँ उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन	10 फरवरी, 2018 तक	कृषि विभाग/ जिलाधिकारी
3	ई-उपार्जन से सम्बन्धित माड्यूल- क्रय केन्द्र,/डिपो/बैंक/निरीक्षण माड्यूल को तैयार करना/विभागीय पोर्टल पर टेस्ट रन	15 फरवरी, 2018 तक	एन0आई0सी0
4-	**क्रय केन्द्रो का चयन/ स्वीकृति-** (क) एजेन्सी का प्रस्ताव प्रेषण (ख) जिलाधिकारी से अनुमोदन	15 फरवरी, 2018 तक 01 मार्च, 2018 तक	क्रय एजेन्सी जिलाधिकारी
5	किसानों का पंजीयन- (खाता नं0 अंकित खतौनी/पहचान प्रमाण-पत्र यथासम्भव आधार कार्ड एवं खसरा के आधार पर) कृषक द्वारा स्वयं/जनसूचना केन्द्र, इन्टरनेट कैफे के द्वारा	01 मार्च, 2018 से	जिलाधिकारी/ सं0खा0नि0/क्रय एजेन्सी
6	परिवहन दरों का जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0 द्वारा निर्धारण	01 मार्च, 2018 तक	जिलाधिकारी व क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम
7	मण्डी यार्ड जहॉ व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न खरीद व बिक्री का कारोबार नहीं स्थानान्तरित किया गया है, को स्थानान्तरित कराना	15 मार्च, 2018 तक	निदेशक, मण्डी परिषद व जिलाधिकारी
8-	पंजीयन व क्रय का प्रचार-प्रसार- (क) समाचार पत्रों/रेडियो/टेलीविजन (ख) उपयुक्त स्थानों, मण्डी यार्डो आदि में फलैक्सी बैनर आदि का प्रदर्शन	01 मार्च, 2018 से 15 मार्च, 2018 से	मण्डी/सूचना विभाग
9-	ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता	10 मार्च, 2018 तक	सम्बन्धित क्रय एजेन्सी
10	गेहूँ क्रय केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम	05 मार्च, 2018 तक	भारतीय खाद्य निगम

http://shasanadesh.up.nic.in

	डिपो तक गेहूँ परिवहन का मूवमूण्ट प्लान		
11	जनपद हेतु निर्धारित क्रय लक्ष्य के अनुसार गेहूँ भण्डारण का डिपोवार भण्डारण प्लान	10 मार्च, 2018 तक	भा0खा0नि0
12	<u>क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायें</u> (क्रय एजेन्सी द्वारा)- धन का आंकलन व उपलब्धता • बोरे की उपलब्धता • स्टाफ की तैनाती • हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की ई-टेण्डरिंग द्वारा नियुक्ति	10 मार्च] 2018 तक	क्रय एजेन्सी
13	क्रय केन्द्रों की व्यवस्थायें (मण्डी द्वारा)- • कृषकों की सुख-सुविधा की व्यवस्था • इलेक्ट्रानिक कांटा] छन्ना] नमीमापक यंत्र आदि की व्यवस्था • बैनर की व्यवस्था • प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण	10 मार्च, 2018 तक	क्रय एजेन्सी व मण्डी समिति
14	कांटा बाट का सत्यापन, रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में ठीक करने हेतु मैकेनिक का नामांकन	10 मार्च, 2018 तक	क्रय एजेन्सी/बांट माप विभाग
15-	ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग	12 मार्च, 2018 तक	क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय व मण्डल स्तरीय अधिकारी
16-	मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन	15 मार्च, 2018 तक	मण्डी समिति/जिलाधिकारी
17-	मण्डी समिति द्वारा प्रभावी नीलामी हेतु नीलामी, मण्डीयार्डवार नीलामीकर्ता का नामांकन	15 मार्च, 2018 तक	मण्डी समिति

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18-	क्रय केन्द्र प्रभारियों की गेहूँ क्रय आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग/कार्यशाला	15 मार्च, 2018 तक	जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, जि0खा0वि0अ, सं0ले0अ0, बांट माप अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक सहकारिता, सहायक श्रमायुक्त सं0खा0नि0, क्रय एजेन्सी, मण्डी सचिव, भारतीय खाद्य निगम, एन0आई0सी0
19-	क्रय केन्द्रों का क्रियान्वयन व भौतिक रूप से क्रियाशीलता/ ओ0के0 रिपोर्ट प्रेषण	31 मार्च, 2018 तक	क्रय एजेन्सी/ जिलाधिकारी

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।